न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 47/2018

...ा—
बगतादेवी पत्नि अमराराम
जाति जाट निवासी मोरियाना तहसील रियांबडी जिला नागौर

...ी—
मदनसिंह पुत्र बजरंगसिंह
गोपालसिह पुत्र बजरंगसिंह
सज्जनसिंह पुत्र विजयसिंह
अजीतसिंह पुत्र विजयसिंह
योगेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह
समदरसिंह पुत्र हरिसिंह
उम्मेदसिंह पुत्र हरिसिंह
सायरकंवर बेवा हरिसिंह
जातियान राजपूत निवासी मोरियाना तहसील रियांबडी जिला नागौर
गोविन्दलाल पुत्र चन्द्राराम
10. गुलाबदेवी पुत्री मांगीलाल के कायम मुकाम
10/1 हेमंत कुमार पुत्र गोविन्दलाल
10/2 इन्दु पुत्री गोविन्दलाल
जाति जाट निवासी मोरियाना तहसील रियांबडी नागौर
11. तहसीलदार रियांबडी
12. पटवारी हल्का मोडीकलां

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 28/8/2024

ग्राम मोरियाना की सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 16 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नंबर 17 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा कुल रकबा 1.59 हैक्टर भूमि प्रार्थिया की उक्त जमीन संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया है। संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के खेत के दक्षिणी पश्चिमी तरफ खसरा नंबर 31 रकबा 3.63 हैक्टर खसरा नं 32 रकबा 0.40 हैक्टर खसरा न 33 रकबा 0.58 हैक्टर खसरा नं 34 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं 1 ता 10 की खातेदारी की काश्त कब्जासुद आई हुई। खसरा नं 34 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ रास्ता आया हुआ है जो वर्तमान मे चालू है। प्रार्थिया के खेत खसरा नं 16 मे आने जाने के लिये ट्रेक्टर छकडा हल बैल ले जाने के लिये खसरा नं 34 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ रास्ता फंटकर खसरा नं 34 व 33 की दक्षिणी माठ खसरा नं 32 की दक्षिणी पूर्वी माठ के सहारे सहारे रास्ता आया हुआ है। उक्त रास्ता संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी ई दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की उपयोग उपभोग प्रार्थिया व प्रार्थिया का परिवार खेत खसरा नं 16 व 17 मे आने जाने हेतु कदीम से करते आ रहे है। संलग्न नजरी नक्शा बताये मार्ग ए बी सी डी ई रास्ता पीढियो से चला आ रहा है। प्रार्थिया का परिवार इस रास्ते पर बिना रोक टोक हल बैल ट्रेक्टर ट्रोली मवेशी लाने ले जाने के लिये पीढियो से 15 फुट चौडा रास्ता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब तलब करने हेतु अंतिम अवसर दिया। दिनांक 03.06.19 को अप्रार्थी ने मय दस्तावेज पेश किया जो शामिल मिसल हो। वकुलाय की बहस सुनी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाई गईं। तहसीलदार रियांबडी ने दिनांक 20.05.19 को मौका रिपोर्ट पेश की गई। मौके पर खसरा नं 34, 33 व 32 की दक्षिणी माठ चिपता रास्ता चालु है। खसरा नंबर 31 की दक्षिणी माठ पर चिपता हुआ खुला है। प्रार्थिया को खसरा नं 31, 32 ,33 की दक्षिणी माठ व 31 की दक्षिणी पूर्वी माठ पर रास्ता दिया जाना उचित है। वकील अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि राजकीय भूमि मे रास्ता आया हुआ है जिसे दिया जाना उचित नही है। पत्रावली का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

या। तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। मार्क ए बी सी डी जो खसरा नं 16 तक लाल स्याही से ...न्ट से दर्शित है। खसरा नं 34 रकबा 0.39 मे से 0.01 हैक्टर व खसरा नं 33 रकबा 0.58 मे से 0.024 ...टर, खसरा नं 32 रकबा 0.40 मे से 0.03 हैक्टर व खसरा नं 31 रकबा 3.63 मे से 0.1264 हैक्टर कुल ...कबा 0.1904 हैक्टर बनता है जो रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा कानूनी दर 21987 रू बीघा है जो 1 बीघा 3 ...श्वा की दर 25300 रू बनती है जिससे दुगुने 50600 रू बनते है जिसके भूगतान प्रार्थी खसरा नं 34, 33, ...2 व 31 क खातेदारान को दी जाये। खसरा नं 34 रकबा 0.39 मे से 0.01 हैक्टर व खसरा नं 33 रकबा ...58 मे से 0.024 हैक्टर, खसरा नं 32 रकबा 0.40 मे से 0.03 हैक्टर व खसरा नं 31 रकबा 3.63 मे से 0. ...264 हैक्टर कुल रकबा 0.1904 हैक्टर रास्ता की गैर मुमकिन घोषित की जाती है जिस पर किसी का हक ...व अधिकार नही होगा जो आने जाने के लिये उपयोग किया जायेगा। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट निर्णय ...का भाग रहेगा। तहसीलदार रियांबडी घोषित रास्ते की राशि प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को भूगतान करे व ...शि जमा होने पर रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार को ...हरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान वहन करे।

उक्त निर्णय दिनांक 07.06.19 के विरूद्व धारा 225 आरटी एक्ट के तहत माननीय राजस्व अपील ...प्राधिकारी नागौर के यहां पेश की जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को निरस्त करते हुए पुनः ...धारा 69, 70 के तहत सुसंगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य मे रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित करे। पत्रावली दिनांक 04.10.23 को प्राप्त हुई। पुनः दर्ज की जाकर नंबर पर ली गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की तरफ से वकील उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट तहसीलदार रियांबडी से मंगवाई गई जो पत्रावली मे शामिल मिसल की गई। जिसमें खसरा नं 34, 33 व 32 की दक्षिणी माठ चिपता रास्ता चालु है। खसरा नंबर 31 की दक्षिणी माठ ... चिपता हुआ खुला है। प्रार्थिया को खसरा नं 34, 32 ,33 की दक्षिणी माठ व 31 की दक्षिणी पूर्वी माठ ... होते हुए खसरा नं 16 तक रिपोर्ट पेश हुई जिसमें ए टू बी मार्ग खुला है। आगे बंद है एवं एक नजदीकी रिपोर्ट कटाणी मार्ग से खसरा नं 2, 7, 8, 10 व 15 से होते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमे खसरा नं 16 व 17 मे आने जाने हेतु खसरा नं 34, 32, 33 व 31 से नजदीक व सुगम है। इसमें ए टू बी रास्ता की भूमि 490 मीटर बनती है एवं खसरा नं 34, 33, 32 व 31 मे रास्ता की लंबाई 534 मीटर बनती है इससे नजदीक रास्ता रिपोर्ट के पैरा नं 2 मे दर्शित है और नजदीक भी है। उक्त रिपोर्ट पत्रावली में शामिल की गई। वकील अप्रार्थी ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें खसरा नं 2, 7, 8, 10 व 15 के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है जिन्हे पक्षकार बनाया जावे। बहस सुनी गई। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी को खारिज किया जाता है एवं मौका रिपोर्ट मय नायब तहसीलदार ने दिनांक 20.08.24 को पुनः सत्यापन किया गया। आर आई भैरून्दा पटवारी हल्का मोडीकलां ने मोरियाना के खसरा नं 34, 33, 32 व 31 तथा 16,17 एवं खसरा नं 2, 7, 8, 10, 15 का वास्ते रास्ता प्रयोजनार्थ मौका देखा गया। जिसके पूर्व में दिनांक 25.02.24 को मौका जांच रिपोर्ट तैयार की गई व आज दिनांक को सत्यापन किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं 34, 33, 32, 31 की ओर से रास्ता दिया जाना उचित है। जो सुविधाजनक है एवं पूर्व निर्णय को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रियांबडी की मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। माफिक मौका रिपोर्ट खसरा नं 34, 33, 32,31 के ए बी सी लाल स्याही से अंकित रास्ता दिया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी को मौजा मोरियाना की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 16 आने जाने व ट्रेक्टर, छकडा आदि के लियके लिये अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं 34, 33, 32 व 31 मे से ए टू बी 288 मीटर एव बी टू सी 246 मीटर कुल 534 मीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ता घोषित की जाती है। प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी कार्यालय में उक्त कृषि भूमि के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी दर की राशि जमा करवावे। तहसीलदार रियांबडी उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार रियांबडी उक्त रास्ते को राज्य सरकार के हक में दर्ज करते हुए किश्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शे में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमावे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
रियांबडी
जिला–नागौर